न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –78/2016

अपीलान्टस् — बनाम — रेस्पोडेन्ट्स

अपीलान्टस्

1. गोरधन सिंह पुत्र स्व. मंगलाराम उर्फ मेगाराम
2. संतोष सिंह पुत्र स्व. मंगलाराम उर्फ मेगाराम
3. विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. मंगलाराम उर्फ मेगाराम
4. किशोर सिंह पुत्र स्व. मंगलाराम उर्फ मेगाराम
5. सायर सिंह पुत्र स्व. मंगलाराम उर्फ मेगाराम
6. मुन्नालाल पुत्र स्व. मंगलाराम उर्फ मेगाराम
7. मानसिंह पुत्र स्व. मंगलाराम उर्फ मेगाराम
8. पानी देवी पुत्री स्व. मंगलाराम उर्फ मेगाराम
9. गीता देवी पुत्री स्व. मंगलाराम उर्फ मेगाराम
10. चूका देवी पुत्री स्व. मंगलाराम उर्फ मेगाराम जाति–माली, निवासी–मेड़ता शहर, जिला–नागौर।

रेस्पोडेन्ट्स

1. हनुमान राम पुत्र रामाराम जाति माली
2. देवीलाल पुत्र तुलछीराम जाति माली
3. रामचन्द्र पुत्र तुलछीराम जाति माली
4. जवरीलाल पुत्र तुलछीराम जाति माली
5. कानाराम पुत्र तुलछीराम जाति माली
6. सुशीला पुत्री तुलछीराम पत्नि हड़मानराम जाति सांखला (माली)
7. सीमा पुत्री तुलछीराम पत्नि लालाराम जाति सांखला (माली)
8. माडूडी पत्नि तुलछीराम जाति माली सभी निवासीगण दामावतो का बास, मेड़ता शहर जिला नागौर
9. तहसीलदार मेड़ता, जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रमेश कुमार ढाका।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से वकील श्री बाबूलाल मादू, रेस्पोडेन्ट संख्या–3,6,7 व 8 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सारण, रेस्पोडेन्ट संख्या–2,4 व 5 की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश फूलफगर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–9 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय

दिनांक : 01-07-2019

अपीलांटस् ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम मेड़ता तहसील मेड़ता का म्यूटेशन संख्या 1820 जो तहसीलदार(भू.अ.), मेड़ता द्वारा दिनांक 07.03.1989 को स्वीकृत किया गया किया जाना अपनी अपील में दर्शित करते हुऐ यह अपील दिनांक 05.08.2016 को प्रस्तुत की गई है। वकील अपीलान्टस् ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। अपीलान्टस् की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलान्टस् ने मियाद प्रार्थना पत्र के संबंध में अपनी बहस में कथन किया कि विवादग्रस्त जायगा पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा और न ही वर्तमान में कब्जा काश्त है। इसके बावजूद तहसीलदार मेड़ता ने बिना कब्जे की जांच किये ही रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 के नाम से उपरोक्त खसरान में खातेदार दर्ज कर दिया, जिसके संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन हैं किन्तु उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं होने से उक्त नामान्तरकरण के विरुद्व पूर्व में अपील पेश नहीं की जा सकी, अपीलांट का उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर

कलक्टर, नागौर
न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

A5/2

कब्जा काश्त निरन्तर निर्बाध रुप से चला आ रहा है। किन्तु राजस्व कर्मचारीयों ने बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये ही रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण भर दिये गये तथा अपीलांट के पिता के नाम से नामान्तरकरण नहीं भरने में भारी कानूनी भूल की है। उक्त गलत व अवैध तरीके से भरे गये नामान्तरकरण की प्रथम बार जानकारी की दिनांक 01.08.2016 से अपील अन्दर मयाद होने का कथन करते हुऐ अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत अन्दर मयाद सुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री राजेन्द्र सारण एवं श्री ओमप्रकाश फूलफगर ने वकील अपीलांटस् का मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वकील रेस्पोडेन्ट श्री बाबूलाल भादू एवं राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने का कथन करते हुऐ खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार करते हुए न्यायहित में इस अपील का गुणावगुण के आधार पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना उचित है। अपीलान्ट की अपील पर मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टस् श्री रमेश कुमार ढाका ने बहस में कथन किया कि अपीलांटस् मंगलाराम उर्फ मेघाराम पुत्र गीगाराम के पत्र व पुत्रियां है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 हनुमान, रामाराम पुत्र गीगाराम का पुत्र है व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 8 तुलछीराम पुत्र गीगाराम के पुत्र व पुत्रीयां व पत्नि है। इस प्रकार से गीगाराम के तीन पुत्र रामाराम, तुलछीराम व मंगलाराम हुए। कस्बा मेडता में खसरा नम्बर 2186 रकबा 1.8 बीघा, खसरा नम्बर 2189 रकबा 1.17 बीघा, खसरा नम्बर 2191 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नम्बर 2232 रकबा 1.1 बीघा, खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 2188 रकबा 0.18 बीघा, खसरा नम्बर 2199 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नम्बर 2200 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नम्बर 2201 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 2190 रकबा 0.09 बीघा, बेरा खसरा नम्बर 2231 रकबा 0.07 बीघा कुल रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 2185 रकबा 4.07 बीघा पूर्व में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 9 से 17 के दादा गीगाराम के खातेदारी व कब्जा काश्त के थे और गीगाराम के देहान्त के बाद में यह सारी आराजी उनके तीनों पुत्रों अर्थात मंगलाराम उर्फ मेगाराम, तुलछीराम व रामाराम के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा रही और इसी अनुसार तीनों भाईयों के नाम दर्ज थी। जिसमें तीनों भाईयों का 1/3–1/3 हिस्सा था। दिनांक 11.4.1985 को स्व. रामाराम व स्व. तुलछीराम उपरोक्त खातेदारी की भूमि के संबंध में एक सर्मपण ईकरारनामा अपनी स्वेच्छा से अपीलांट के पिता मंगलाराम उर्फ मेघाराम के नाम निष्पादित कर उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का कब्जा उसी वक्त सौंप दिया। जिसके परश्चात उक्त सम्पूर्ण भूमि पर मंगलाराम उर्फ मेघाराम का कब्जा काश्त निरन्तर चला आया तथा उनके देहान्त के पश्चात् उक्त भूमि पर हमारा कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है।

रेस्पोडेंट संख्या 1 को उक्त तथ्यों की जानकारी होते हुए भी उसके मन में लालच आ जाने से बदनियती पूर्वक रामाराम की मृत्यु के पश्चात् बिना किसी प्रकार की जानकारी दिये ही बाले बाले रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने नाम से रामाराम के स्थान पर नामान्तरकरण भरवा कर स्वीकृत करवा लिया। जबकि, उसे यह भलीभांती जानकारी थी कि, उक्त भूमि पर न तो उसका कब्जा काश्त है और न ही वह उसका खातेदार है क्योंकि, उक्त भूमि को उसके पिता व तुलछीराम ने मंगलाराम उर्फ मेघाराम का जरिये सर्मपण इकरारनामा के सौंप दी है। जिस पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने उपरोक्त खसरान के कब्जे के संबंध में जांच किये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश और अपील पारित कर दिया।

कलक्टर, नागौर

उक्त विवादग्रस्त जायगा पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा और न ही वर्तमान में कब्जा काश्त है। इसके बावजूद तहसीलदार मेड़ता ने बिना कब्जा की जांच किये ही रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 के नाम से उपरोक्त खसरान में खातेदार दर्ज कर दिया, जिसके संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन है किन्तु उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं होने से उक्त नामान्तरकरण के विरुद्व पूर्व में अपील पेश नहीं की जा सकी, अपीलांट का उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर निर्बाध रुप से चला आ रहा है। किन्तु राजस्व कर्मचारीयों ने बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये ही रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण भर दिये गये तथा अपीलांट के पिता के नाम से नामान्तरकरण नहीं भरा है।

अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1820 ग्राम मेड़ता को स्वीकार करने का आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व बिना अधिकार क्षेत्र के पारित किया गया होने से अवैध है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर अपीलान्टस् का चला आ रहा है तथा उससे पूर्व उनके पिता मंगलाराम उर्फ मेगाराम का कब्जा काश्त रहता आया है तथा पारिवारिक बंट में उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता के बंट में दी, जिसके संबंध में एक इकरारनामा भी निष्पादित किया गया। उक्त इकरारनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता रामाराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 8 के पिता तुलछाराम ने अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को दिनांक 11.04.85 को स्व0 रामाराम व स्व0 तुलछीराम ने एक संयुक्त इकरारनामा (समर्पण पत्र) दोनों ने अपनी स्वेच्छा से निष्पादित करके उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि मंगलाराम उर्फ मेगाराम को सुपुर्द कर दी थी। उक्त समर्पण पत्र से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 भी विबंधित है। तत्पश्चात अपीलान्टस् के पिता ने उक्त भूमि पर कुआ बनाकर उसमें इंजन लगाकर उपरोक्त भूमि की सिंचाई करके बहैसियत अकेले खातेदार इसका उपयोग व उपभोग करते रहे तथा उनके पश्चात उनके उतराधिकारी अपीलान्ट का निरन्तर काबिज काश्त है। मगर तहसीलदार मेड़ता ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के संबंध में जॉच किये बिना ही व अपीलान्टस् को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार से मिलीभगत करके बिना कब्जे की जॉच करवाये ही अपने नाम से नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया। जबकि उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व तुलछीराम व उसके उतराधिकारियों का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा और न ही वर्तमान में कब्जा काश्त है, जिसकी पुष्टि स्वंय तुलछीराम द्वारा दिये गये जवाब से होती है जिसमें उसने स्वंय अपीलान्टस् के पिता के पक्ष में इकरारनामा निष्पादित करने व उसका कब्जा होने की पुष्टि की है तथा इसकी ताईद पटवारी हल्का द्वारा भी की गई है कि उक्त जायंगा पर अपीलान्टस् का कब्जा काश्त है। इसके बावजूद तहसीलदार ने अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण भरने में भूल किये जाने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार मेड़ता द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1820 स्वीकृति आदेश दिनांक 07.03.1989 को निरस्त करने तथा सम्पूर्ण जॉच की जाकर अपीलान्टस् के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

वकील श्री राजेन्द्र सारण एवं श्री ओमप्रकाश फूलफगर ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलान्टस् ने वादग्रस्त भूमि के म्यूटेशन नम्बर 1820 को निरस्त करवाने के लिए अपील पेश की है, जो सही है। यह भी सही है कि गीगाराम के तीन पुत्र रामाराम, तुलछीराम व मंगलाराम उर्फ मेगाराम के खातेदारी दर्ज थी तथा कस्बा मेड़ता में खसरा नम्बर 2186 रकबा 1.8 बीघा, खसरा नम्बर 2189 रकबा 1.17 बीघा, खसरा नम्बर 2191 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नम्बर 2232 रकबा 1.1 बीघा, खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 2188 रकबा 0.18 बीघा, खसरा नम्बर 2199 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नम्बर 2200 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नम्बर 2201 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 2190 रकबा 0.09 बीघा, बेरा खसरा नम्बर 2231 रकबा 0.07 बीघा

A5/4

कुल रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 2185 रकबा 4.07 बीघा पूर्व में अपीलांट के दादा गीगाराम के खातेदारी व कब्जा काश्त के थे और गीगाराम के देहान्त के बाद में यह सारी आराजी उनके तीनों पुत्रों अर्थात मंगलाराम उर्फ मेगाराम, तुलछीराम व रामाराम के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा रही और इसी अनुसार तीनों भाईयों के नाम दर्ज थी। जिसमें तीनों भाईयों का 1/3–1/3 हिस्सा था। दिनांक 11.4.1985 को रामाराम व तुलछीराम उपरोक्त खातेदारी की भूमि के संबंध में एक सर्मपण ईकरारनामा अपनी स्वेच्छा से अपीलांटस् के पिता मंगलाराम उर्फ मेघाराम के नाम निष्पादित कर उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का कब्जा उसी वक्त अपीलान्टस् के पिता को सुपुर्द कर दिया था। जिसके परश्चात उक्त सम्पूर्ण भूमि पर मंगलाराम उर्फ मेघाराम का कब्जा काश्त निरन्तर चला आया तथा उनके देहान्त के पश्चात् उक्त भूमि पर उनके उत्तराधिकारियों का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। तहसीलदार जी ने अपीलान्टस् को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त नामान्तरकरण संख्या 1820 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कहने मात्र से भर दिया था। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हनुमानराम का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं था व है और न ही तुलछीराम के वारिसन का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि के संबंध में संबंध में समर्पण पत्र लिखने के बाद से ही कब्जा काश्त अपीलान्टस के पिता का व उसके बाद में अपीलान्टस् कब्जा काश्त चला आ रहा है। तहसीलदार ने बिना कब्जे काश्त की जॉच किये ही गलत रूप से अपीलान्टस् के पिता को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण भरा है, जो खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुवे वकील रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने पर रेस्पोडेन्ट को कोई ऐतराज नहीं होने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि अपीलान्ट जिस समपर्ण इकरारनामा दिनांक 11.4.1985 के आधार पर व कब्जे के आधार पर नामान्तरकरण जैर अपील को खारिज करने का निवेदन किया है, वह समपर्ण इकरारनामा दिनांक 11.4.1985 पंजीकृत नहीं है। ऐसे अपंजीकृत समपर्ण इकरारनामा के आधार पर नामान्तकरण जैर अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। नामान्तरकरण जैर अपील खातेदार रामाराम की फौतगी पर उसके विधिक वारिसान के नाम स्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत है एवं ऐसे नामान्तरकरण को स्वीकृत करने में कब्जे का बिन्दू बाधित नहीं होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर. डी 1982 पेज 403 से 408, आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 374 से 380 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

वकील श्री बाबुलाल भादू ने रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में खातेदार रामाराम के फौत होने पर उसके जाईन्दा पुत्रों के नाम उत्तराधिकार का नामान्तरकरण ग्राम मेड़ता का नामान्तरकरण संख्या 1820 पटवारी मेड़ता द्वारा भरा गया, उक्त नामान्तरकरण की पुस्त पर भू अभिलेख निरीक्षक मेडता द्वारा दिनांक 06.03.89 को जमाबन्दी अनुसार अंकन सही है, का नोट अंकित करने पर तहसीलदार मेड़ता द्वारा दिनांक 07. 03.89 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया है, जो पूर्ण रूपेण विधि अनुसार है। प्रार्थी ने सर्मपण ईकरारनामा दिनांक 11.04.1985 के आधार पर नामान्तरकरण जैर अपील को निरस्त करने का कथन किया है, जो पूर्णतया निराधार एवं विधि विरूद्ध है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सर्मपण पत्र इकरारनामा जो सक्षम अधिकारी से पंजीकृत नहीं है, इसलिए ऐसे दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नहीं है एवं न ही ऐसे दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण आदेश जैर अपील आदेश का निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा अपीलान्ट ने वादग्रस्त जायगा पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 का कभी कब्जा काश्त नहीं होने एवं न ही वर्तमान में कब्जा काश्त है, इसके बावजूद तहसीलदार मेड़ता द्वारा बिना कब्जे की जॉच किये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 के नाम से विवादग्रस्त खसरान में खातेदार दर्ज कर दिया

जिसके संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने का कथन वकील अपीलान्ट द्वारा किया गया है। इस प्रकार वकील अपीलान्ट के कथनानुसार नामान्तकरण जैर अपील में वादग्रस्त खसरान के संबंध में विभिन्न न्यायालय में वाद विचाराधीन होने की स्थिति में भी अपीलान्ट को उक्त वादग्रस्त म्यूटेशन आदेश जैर अपील को खारिज करवाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि नामान्तरकरण एवं संक्षिप्त प्रकिया है, जिससे किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होने का कथन करते हुए वकील रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील बेबुनियाद, विधि विरूद्ध होने का कथन करते हुऐ खारिज करने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने जहां तक फौतगी के नामान्तकरण पर आदेश का प्रथम अधिकार ग्राम पंचायत होने परन्तु तहसीलदार मेड़ता द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से बिना अधिकार के ही नामान्तकरण स्वीकार करने को लेकर कथन किया है, जो पूर्णतया गलत एवं विधि के प्रावधानों के विपरित है। उक्त संबंध में निवेदन है कि नामान्तरकरण जैर अपील मेड़ता का है, जिसकी कौनसी ग्राम पंचायत लगती है, इसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इसके विपरित मेड़ता नगरीय क्षेत्र होने से तहसीलदार मेड़ता द्वारा नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किया है, जो पूर्ण रूपेण विधि अनुसार होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है। वकील अपीलान्ट का कथन कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार से मिली भगत करके बिना कब्जे की जॉच करवाये ही अपने नाम से नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 1, 2019 सुप्रिम कोर्ट पेज 1 से 7, आर. आर.टी. 2019 (1) पेज 145 से 150, आर.आर.टी. 2019 (1) पेज 648 से 650, आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 369 से 376 तक न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकुलाय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का अधोपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में खातेदार रामाराम के फौत होने पर उसके जाईन्दा पुत्रों के नाम उत्तराधिकार का नामान्तरकरण ग्राम मेड़ता का नामान्तरकरण संख्या 1820 पटवारी मेड़ता द्वारा भरा गया, उक्त नामान्तरकरण की पुस्त पर भू अभिलेख निरीक्षक मेड़ता द्वारा दिनांक 06.03.89 को जमाबन्दी अनुसार अंकन सही है, का नोट अंकित करने पर तहसीलदार मेड़ता द्वारा दिनांक 07.03.89 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया है। बिना कब्जे की जॉच किये ही नामान्तकरण जैर अपील स्वीकृत करने को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है, तो उक्त संबंध में स्पष्ट प्रावधान है कि फौतगी के नामान्तरकरण में कब्जे की जॉच की आवश्यकता नहीं है। नामान्तकरण जैर अपील स्वीकृत करने का प्रथम अधिकार ग्राम पंचायत को है, परन्तु तहसीलदार द्वारा गलत रूप से नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत करने को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है तो उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि नामान्तरकरण जैर अपील मेड़ता का है वकील अपीलान्ट ने यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त मेड़ता की ग्राम पंचायत कौन सी है इसके विपरित वकील रेस्पोडेन्ट का कथन कि मेड़ता नगरिय क्षेत्र होने से तहसीलदार को नामान्तरकरण जैर अपील पर आदेश करने का अधिकार प्राप्त है, वकील रेस्पोडेन्ट का उक्त कथन उचित है। वकील अपीलान्ट ने जिस सर्मपण ईकरारनामा दिनांक 11.04.1985 के आधार पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम स्वीकृत करने का निवेदन किया है। वकील अपीलान्ट द्वारा उक्त सर्मपण ईकरारनामा दिनांक 11.04.1985 की छाया प्रति अपील के साथ प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त इकरारनामा पंजीकृत नहीं किया हुआ है। इस प्रकार अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है। इसके अलावा उक्त अपंजीकृत सर्मपण ईकरारनामा के आधार पर अपीलान्ट को इसमें वर्णित भूमि में अधिकार प्राप्त होते है अथवा नहीं ? यह तथ्य प्रश्न निर्धारित करना इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जहां तक फौतगी का म्यूटेशन स्वीकृत करने का बिन्दू है तो उक्त संबंध में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी

खातेदार के फौत होने की दशा में उसके विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है। नामान्तरकरण जैर अपील के कॉलम संख्या 7 में मंगलाराम उर्फ मेगाराम, रामाराम, ...छाराम पि0 गीगाराम कौम माली का नाम काश्तकार के रूप में अंकित है एवं कॉलम संख्या 16 में रामाराम के फौत हो जाने पर उसके जायन्दा लड़के के नाम उत्तराधिकार मंजूर करने का पटवारी मेड़ता द्वारा निवेदन करने पर भू–अभिलेख निरीक्षक मेड़ता द्वारा नामान्तकरण जैर अपील पर जमाबन्दी अनुसार अंकन सही होने की रिपोर्ट दिनांक 06.03.89 को किये जाने पर तहसीलदार मेड़ता द्वारा दिनांक 07.03.89 को नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में नामान्तरकरण जैर अपील जो तहसीलदार मेड़ता द्वारा स्वीकृत किया गया है, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उर्पयुक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर नागौर